<u>न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–01, श्रीगंगानगर।</u>

पीठासीन अधिकारीः– **रमेश कुमार जोशी,**
(अतिरिक्त कार्यभार)

दाण्डिक अपील संख्याः– 12/2026
CIS No.:– 43/2026
CNR No.:– RJSG010002592026

(1) शायर कुमार पुत्र रामरख उम्र 32 साल निवासी 8 एसटीबी, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

(2) मुन्ना पुत्र रामुराम उम्र 28 साल निवासी शिवपुरी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
(3) विनोद कुमार पुत्र भागीरथ शर्मा उम्र 44 साल निवासी 29 जीबी शिवपुरी, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

– अपीलार्थीगण

विरुद्ध

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, श्रीगंगानगर।

– प्रत्यर्थी

दांडिक नियमित अपील अंतर्गत धारा 6(सी) आवश्यक वस्तु अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 02.02.2026, न्यायालय–जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर, प्र.सं. 343/25 शीर्षक राज.सरकार जरिए कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर बनाम सायर कुमार, **जिसके माध्यम से धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी शायर कुमार के वाहन व डीजल को राजसात करने का आदेश पारित किया गया।**

<u>प्रतिनिधित्व</u>

1– अपीलार्थी पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री आनन्द व्यास, श्री वैभव भारती, श्री आमीर खान एवं सुश्री प्रियंका व्यास।

2– राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ।

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक:– 12.03.2026</u>

01– अपीलार्थी की ओर से यह अपील विद्वान विचारण न्यायालय के उक्त अनवानी प्रकरण में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2026 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की गई, जो निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। उक्त अपीलाधीन आदेश के द्वारा विचारण न्यायालय की ओर से प्रकरण में जब्तशुदा

2717.750 लीटर डीजल एवं वाहन पिकअप रजि0 नंबर आरजे 13–जीसी–4773 राजसात किये जाने के आदेश दिये गये।

02– प्रकरण के सुसंगत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर की ओर से धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम (एतदर्थ अधिनियम से सन्दर्भित) के अन्तर्गत एक प्रार्थनापत्र जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया कि दिनांक 12.11.2025 को जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर एवं मय प्रवर्तन स्टाफ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 श्रीगंगानगर–सूरतगढ हाइवे पर 17 एसटीबी पालीवाला से सूरतगढ की ओर से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 को रूकवाया गया । मौके पर उकत् वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 में उपस्थित वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना परिचय सायर कुमार पुत्र श्री रामरख जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी 8 एसटीबी तहसील श्रीविजयनगर होना बताया । जिसने स्वंय को उक्त वाहन का चालक होना बताया । श्री सायर कुमार पुत्र रामरख की उपस्थिति में उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 की जांच की गई। श्री सायर कुमार पुत्र श्री रामरख ने बताया कि उक्त वाहन में प्लास्टिक ड्रमो में डीजल भरा हुआ है। मौके पर जांच व भौतिक सत्यापन करने पर उक्त 13 बडे प्लास्टिक ड्रमों व 4 प्लास्टिक कैनियों में पैट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया । मौके पर 13 बडे प्लास्टिक ड्रमो व 4 प्लास्टिक कैनियो में कुल 2720 लीटर डीजल भरा होना पाया गया । प्रत्येक बडे ड्रम की क्षमता 200 लीटर एवं प्रत्येक प्लास्टिक कैनी की क्षमता 30 लीटर पायी गयी। पूछताछ करने पर सायर कुमार पुत्र रामरख ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पंप से डीजल सस्ते दाम पर क्रय किया जाता है एवं मांग के अनुसार उपभोक्ताओं में विक्रय किया जाता है। मौके पर सायर कुमार पुत्र रामरख द्वारा पेट्रोल एंव डीजल के भण्डारण/बेचान/परिवहन संबंधी कोई वैध अनुज्ञा पत्र/ परमिट व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया । मौके पर डीजल के अवैध रूप से अधिक मात्रा में परिवहन के कारण जरिए फर्द जब्ती वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 मय 13 बडे प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनिया मय 2720 लीटर डीजल को जब्त किया गया । मौके पर जब्तशुदा डीजल की सैम्पलिंग की कार्यवाही की गयी। मौके पर तैयार किये गये सैम्पल में से सैम्पल ए को एफएसएल जांच हेतु भेजा जाएगा । फर्द

सैम्पलिंग तैयार की गयी। जब्त डीजल की ज्वलनशील प्रकृति होने के कारण समस्त 2717.750 लीटर डीजल (सैम्पलिंग के बाद शेष)मय 13 बडे प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैन तथा प्रयुक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 श्री श्याम इन्टरप्राइजेज, नायर पैट्रोल पम्प, 17 एसटीबी, पालीवाला पैट्रोल पम्प के मैनेजर श्री सुनील कुमार पुत्र कृष्ण लाल जाति बावरी उम्र 30 साल की सुपुर्दगी में दिया गया । फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया सायर कुमार द्वारा अवैध पैट्रोल डीजल की अवैध रूप से खरीद , बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निर्गमित मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू) (आर), 03(4)(6),04 का स्पष्ट उल्लंघन् करने के कारण वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 4773 मय 2717.750 लीटर डीजल मय 13 बडे प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थनापत्र की गई।

03– विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनने के उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2026 पारित करते हुए अपीलार्थी से अभिगृहीत किये गए 2717.750 लीटर डीजल व वाहन पिकअप संख्या RJ13 GC 4773 को राज्य पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया एवं वाहन की एवज में 08 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित करते हुए, जुर्माना राशि जमा करवाये जाने पर ही वाहन को नियमानुसार सम्बन्धित वाहन स्वामी को लौटाये जाने का आदेश देते हुए यह भी आदेशित किया कि जब्तशुदा डीजल की विक्रय राशि व अन्य को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवाई जावे। उक्त निर्णय /आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

04– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष ने बहस के दौरान अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश पत्रावली पर आई साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है, क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह अवगत करवाया गया था कि उक्त डीजल शायर कुमार व मुन्ना पुत्र रामूराम ने संयुक्त रूप से खरीदा था जिसके बिल भी खरीदशुदा व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किये गये हैं। उनके द्वारा उक्त डीजल मां शाकम्बरी फयूल्स , उस्मानखेडा , तहसील अबोहर पंजाब से खरीद किया हुआ है एवं जिसका बिल भी

अपीलार्थीगण के पास मौके पर थे, परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा न तो बिल का अवलोकन किया गया और न ही साथ बैठे मुन्ना पुत्र रामूराम की कोई बात सुनी। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करवाया गया कि जिला रसद अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा मौके पर सीज करते समय न तो अप्रार्थी को सीजर प्रति दी गयी एवं न ही सैम्पलिंग की एक बोतल दी गयी है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह अवगत करवा दिया था कि माननीय उच्च न्यायालय व भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 2500 लीटर तक डीजल को परिवहन करने में किसी प्रकार का कोई उल्लंघन होना नहीं पाया गया है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी अकेले द्वारा डीजल खरीद नहीं किया गया है बल्कि दो व्यक्तियों द्वारा 1200 व 1300 लीटर कुल 2500 लीटर खरीद किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार जब दो व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न बिलों से डीजल खरीद किया गया हो और साथ में परिवहन कर रहे हों तो उन्हें एक यूनिट नहीं बल्कि दो यूनिट माना जायेगा । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा केवल मात्र 1300 डीजल परिवहन किया गया है एवं मुन्ना लाल द्वारा 1200 लीटर डीजल परिवहन किया जा रहा है। अपीलार्थीगण की खेतीवर्गीय जमीन है व टयूबवेल है जिसको संचालित करने के लिए डीजल की आवश्यकता रहती है। उनके द्वारा किसी प्रकार के किसी आदेश की कोई उल्लंघना नहीं की गई है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा छेलू सिंह बनाम स्टेट में भी सुपुर्दगी पर वाहन लोटाये जाने के आदेश पारित किये गये हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान न देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को यह भी अवगत करवाया गया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर गंजम व अन्य में वाहन को राजसात करने के पश्चात लौटाये जाने की एवज में जुर्माना राशि न्यूनतम लगाये जाने के प्रावधान है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाहन की वैल्यू के आधार पर अधिकतम जुर्माना अधिरोपित किया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सांकेतिक जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान न देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाहन मालिक को भी नहीं सुना और यह जानकारी होने के पश्चात भी वाहन का मालिक अपीलार्थी संख्या 3 है, को न तो राजसात से पूर्व 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम का नोटिस दिया गया

और न ही अपना पक्ष रखने का आश्वासन दिया ,इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही दूषित श्रेणी में आती है एवं आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 02.02.2026 को अपास्त कर अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस 0 बी0 क्रि0 मि0 एप्लीकेशन संख्या 609/2024 विनोद कुमार वगैरा बनाम स्टेट में पारित आदेश दिनांक 02.12.2024 की प्रति।

2. माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस 0 बी0 क्रि0 मि0 एप्लीकेशन संख्या 5833/2024 विनोद कुमार वगैरा बनाम स्टेट में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 की प्रति।

3. न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 47/24 विनोद कुमार वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2024 की प्रति।

05– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से पक्षकथन किया गया कि अपीलार्थीगण ने मौके पर कोई बिल प्रस्तुत नहीं किये और अपीलार्थीगण मात्र आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो को विफल करने हेतु After thought बिल प्रस्तुत किये हैं। जिला रसद अधिकारी द्वारा सायर कुमार से डीजल जब्त किया गया था और चालक के साथ मुन्ना पुत्र रामूराम उपस्थित था जिसने सुपुर्दगीनामा पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किये थे। वक्त जब्ती मुन्ना पुत्र रामूराम ने स्वयं का कोई डीजल होना नहीं बताया था । अपीलार्थीगण के अधिवक्त जानबूझकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने हेतु जब्तशुदा डीजल को दो व्यक्तियों का होना बता रहे हैं और अपीलार्थी सायर अकेले से ही 2720 लीटर डीजल जब्त किया गया है । मौके पर जब्तशुदा 2720 डीजल स्वयं का होना बताया है जबकि अपीलार्थी ने ग्राम 11 बीएलडी की जमाबंदी पेश की है जिसमें सायर कुमार का नाम न होकर अन्य व्यक्तियों के नाम अंकित है , इसी प्रकार अपीलार्थी ने जोधपुर विधुत वितरण निगम लि0 द्वारा जारी बिजली का बिल एवं ट्रेक्टर की आरसी की प्रति भी अन्य व्यक्ति के नाम की पेश की है। जब्ती के समय डीजल अपीलार्थी सायर कुमार ने स्वयं का होना स्वीकार कर, फर्द मौका मय जब्ती पर हस्ताक्षर किये थे। अपीलार्थीगण

डीजल के विक्रय के कार्य में लिप्त है विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होना दर्शाकर अपील अस्वीकार किए जाने व अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश पुष्ट करने का निवेदन किया।

06– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व आक्षेपित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया।

07– इस सम्बन्ध में सुसंगत विधिक प्रावधान का अवलोकन किया जावे तो स्वीकृत रूप से आदेश, 1999 की धारा 2(आई) के अन्तर्गत एक समय में किसी व्यक्ति को 2500 लीटर तक पेट्रोलियम पदार्थ का खुदरा विक्रय अनुज्ञेय है और अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप(अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं एवं अनुदेश में विलायकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के अन्तर्गत बिन्दु सं. 12 में पत्रांकः पी–3/जयपुर दिनांक 4.6.2002 द्वारा उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त(प्रथम) खाद्य विभाग द्वारा जारीशुदा है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण उनके फलैश प्वाईंट के अनुसार किया जाना दर्शाते हुए यह अनुदेशित किया गया है कि–

(1) पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण – पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फलैश प्वाईंट के अनुसार किया गया है। पैट्रोलियम पदार्थ जिनका फलैश प्वाईंट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वह सभी वर्ग क में आते हैं एवं जिनका फलैश प्वांईंट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते हैं एवं जिनका फलैश प्वांईंट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 93 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किए गए हैं। पत्र के क्रम में वाँछित वर्गीकरण इस प्रकार है–

Class A:	Hexane, NGL, Heptane
Class B:	MTO, C–9, Solvent/rafinates, C–9 raffinates–Solvent

90, Iomex
Class C: Furnace Oil (FO), Light Diesel Oil(LDO), Aromex

(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग का भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

08– इस प्रकार पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण आदि के सम्बन्ध में निर्गमित अनुदेशों के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग का भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत आदेश में भी इस बात का उल्लेख आया है कि आदेश, 1999 के अनुसार 2500 लीटर तक डीजल क्रय कर परिवहन किए जाने की छूट है। स्वयं अपीलार्थी पक्ष ने भी इस प्रावधान को स्वीकार किया है। इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पाद के सम्बन्ध में किए गए प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति 2500 लीटर तक डीजल क्रय करके परिवहन कर सकता है।

09– हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से अपनी अपील के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किये हैं कि उक्त जो डीजल जब्त किया गया है , वह शायर कुमार व मुन्ना दोनो के नाम से था । यदि दोनों का डीजल देखा जावे तो 2500 लीटर से कम होता है, यह तथ्य बिल्कुल निराधार प्रतीत होता है क्योंकि जो बिल अपीलार्थी की ओर से पेश किये है, वह शायर कुमार के नाम से 1300 रूपये का बिल है व मुन्ना लाल की ओर से प्रस्तुत बिल 1200 रूपये का है। अर्थात यह बिल जो डीजल खरीद करके दोनो पक्ष लाए है, उसके बिल नहीं है। गाडी में तेल डलवाया होगा, उसके बिल हैं। वह बिल भी मूल नहीं है , केवल फोटो प्रति है। इसलिए दौराने जब्ती फोन करके व्हाटसअप पर उक्त बिल मंगवाये गये प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी तेल खरीदा जाता है तो बिल यदि तेल विक्रेता प्रदत्त करता है तो कम्पयूटर जनरेटिड बिल ही आज के समय प्रदत्त करता है इसलिए भी उक्त बिलों पर सन्देह है। इसके अतिरिक्त यदि हाथ से भी लिखा हुआ बिल है तो मूल बिल अपीलार्थी ने वरवक्त जब्ती भी पेश नहीं किया है तथा अपील में भी मूल बिल पेश नहीं किये हैं। यदि इस पत्रावली में मूल बिल पेश भी किये जाते तो यह 1300 रूपये और 1200 रूपये के बिल है जो कि जब्त किये गये तेल डीजल के बिल नहीं है, इसलिए

अपीलार्थीगण के पूरे तर्क अमान्य व तर्कविहीन प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है, उसमें डीजल 2720 लीटर जब्त किया गया है जिसकी राशि भी राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश में यहां तक कि कोई गलती प्रतीत नहीं हो रही है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए अपना आदेश पारित किया है। बाला–बाला आदेश पारित किया हुआ नहीं है। सभी तथ्यों को अंकित करते हुए ही आदेश पारित किया है।

इसलिए जहां तक अपीलार्थीगण का प्रश्न है, दो व्यक्तियों का वह डीजल था , वह अपने आप में ही गलत साबित हो जाता है।

10. इसके अलावा विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त वाहन को राजसात कर लिया गया तथा वाहन पर आठ लाख रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने एस 0 बी क्रि0 मि0 पिटीशन नंबर 5833/24 विनोद कुमार वगैरा बनाम स्टेट में इसी प्रकार का मेटर था , जिसमें उक्त राशि को इससे पूर्व न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 24.07.2024 को आदेश पारित किया था , जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश में विचारण न्यायालय के जब्ती के दोरान जो 4,50,000 रूपये अर्थ दंड अधिरोपित किया गया था , उसको घटाकर 1,50,000 रूपये का जुर्माना किया गया, इसके परिप्रेक्ष्य में ही माननीय राज 0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त एस 0 बी क्रि0 मि0 पिटीशन नंबर 5833/24 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 को उक्त 1,50,000 रूपये जुर्माना नहीं करवाकर गारंटी के बतौर रकम अदा करने का आदेश दिया गया , जिस पर भी प्रार्थीगण दुबारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुए , जिस पर माननीय राज 0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस 0 बी0 क्रि0 एप्लीकेशन नंबर 609/24 में दिनांक 02.12.2024 को अपने आदेश में उक्त् 1,50,000 रूपये की गारंटी शब्द को अंकित करते हुए उक्त राशि के लिए Surety (प्रतिभू) के रूप में लेने का आदेश पारित किया ।

11. इसलिए माननीय राज 0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में ही हस्तगत पत्रावली /आदेश का अवलोकन करें तो उसमें वाहन पर 8 लाख रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है, इसलिए उसे घटाकर 3 लाख रूपये की Surety (प्रतिभू) यदि अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय के समक्ष पेश

करें तो प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 नंबर आरजे 13–जीसी–4773 को रिलीज करने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

12– अतः अपीलार्थीगण शायर कुमार, मुन्ना एवं विनोद कुमार की ओर से प्रस्तुत अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 343/2025 शीर्षक राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर बनाम सायर कुमार में पारित आदेश दिनांक 02.02.2026 में अपीलार्थी सायर कुमार के जब्तशुदा 2717.750 लीटर डीजल एवं वाहन पिकअप संख्या RJ13 GC 4773 को राजसात करने बाबत पारित आदेश की पुष्टि की जाती है एवं उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जो 8 लाख रूपये जुर्माना की राशि है, उसको नहीं जमा करवाते हुए अपीलार्थीगण 3 लाख रूपये की Surety (प्रतिभू) विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करे , तो विद्वान विचारण न्यायालय वाहन पिकअप रजि0 नंबर आरजे 13–जीसी–4773 को रिलीज करने के आदेश पारित करे। अन्य कोई कार्यवाही इस प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन है , उस पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पडेगा । इस निर्णय व आदेश की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे।

(रमेश कुमार जोशी)

13– निर्णय व आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश कुमार जोशी)

SANDEEP KUMAR CHALANA

Steno Gr. 1st
"Authenticated Document"
Digitally signed by SANDEEP KUMAR CHALANA
Date: 2026.03.12 16:30:15 +0000